प्रा॰५

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, Email- bseapatna@gmail.com, वेबसाईट : www.bsea.bihar.gov.in

पटना/दिनांक 12/10/2023

अधिसूचना

संख्या-नि॰ प्रा॰/ नि॰ 1-13/2022 खण्ड 2007 चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. **और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा अनुलग्नक-1** में अंकित 05 (पाँच) व्यापार मंडल सहयोग समितियों का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **कंडिका-4 में** अंकित कार्यक्रम के अनुसार समिति के उपविधियों में यथा वर्णित पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान हेतु **दिनांक 25.11.2023 (शनिवार)** की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने **पत्र संख्या-1830 दिनांक 18.09.2023** से मतदाता सूची तैयार करने के लिए **कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.08.2023** निर्धारित की गयी है, तद्नुसार मतदाता सूची का **अंतिम प्रकाशन दिनांक 11.10.2023** को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. अनुलग्नक-1 में अंकित समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई॰ 1 में सूचना का प्रकाशन	18.10.2023 (बुधवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	02.11.2023 (गुरूवार) एवं 03.11.2023 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	04.11.2023 (शनिवार) एवं 06.11.2023 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	08.11.2023 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	25.11.2023 (शनिवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	25.11.2023 (शनिवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	27.11.2023 (सोमवार)

5. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न **प्रपत्र-1** में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना **दिनांक 18.10.2023 (बुधवार)** को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

6. **निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट http://bsea.bihar.gov.in/ पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्ट नहीं की जायगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगाः-**

क्र०	**सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय**	**प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना**
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात्	प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हॉं अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है।
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या, को प्रविष्ट करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा), को प्रविष्ट करना है।
iv.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूचना (प्रपत्र ई0 18), को अपलोड करना एवं तदोपरांत प्राधिकार के ई-मेल bseapatna@gmail.com पर भेजना है।
v.	मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात् की अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्र-469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है।

7. **प्रपत्र-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।**

8. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) को प्राधिकार के वेबसाइट पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाना है। इससे संबंधित प्राधिकार के पत्रांक 469 दिनांक 25.02.2021 एवं पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 तथा इस पत्र के साथ संलग्न दिशा-निर्देश सभी पदाधिकारियों को पूर्व में भी संसूचित किया जा चुका है। ये पत्र प्राधिकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

9. निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र-5** में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के हस्तपुस्तिका में वर्णित **प्रपत्र-ई॰ 18** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स **(0612-2231562)** अथवा ई-मेल **(bseapatna@gmail.com)** द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

10. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक **1442** दिनांक **02.07.2020** द्वारा **700** मतदाताओं के वजाय **450** मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाने के निर्णय को संशोधित करते हुए पूर्व की भांति **700** मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया है। मतदान के समय भीड़-भाड़ से बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके **7:00** बजे पूर्वाहन से **4:30** बजे अपराहन तक किया गया है। इस संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

11. समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक **18.10.2023** के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक **18.10.2023** के बाद समाप्त हो रही हो, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी समिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति बनती है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन पदाधिकारी जिला पदधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।

12. कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चत करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिवद्ध होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताओं के हाथ को हैंड सेनिटाईजर/ साबून पानी से साफ किये जाने आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न परिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जायगी। हैंड सेनिटाईजेशन/ साबून पानी से हाथ साफ कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त कर्मी की व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का आवंटन किया जायेगा।

13. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात दिनांक 27.11.2023 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 122–129 पर देखे जा सकते हैं।

अनुलग्नकः यथोक्त।

(पुरूषोत्तम पासवान)
सचिव।

ज्ञापांक : 2007 पटना/ दिनांक 12/10/2023

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक : 2007 पटना/ दिनांक 12/10/2023

प्रतिलिपिः संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/ संबंधित उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स0स0)/ संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/ संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि प्राधिकार के पत्रांक 942 दिनांक 25.09.2017 के आलोक में व्यापार मंडल सहयोग समितियों के निर्वाचन में पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी सुनिश्चित करेंगे। उक्त पत्र प्राधिकार के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

3. संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियां अपने स्तर से भी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) को सूचित किया जाता है कि व्यापार मंडल निर्वाचन के संचालन हेतु प्राधिकार के पत्रांक 688 दिनांक 04.08.2017 एवं पत्रांक 221 दिनांक 24.01.2023 द्वारा दिये गये अनुदेश यथा संशोधनों के साथ (Mutatis Mutandis) लागू होंगे। यह अनुदेश प्राधिकार के बेवसाईट www.bsea.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

सचिव।

ज्ञापांक : 2007 पटना/ दिनांक 12/10/2023

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

सचिव।

ज्ञापांक : 2007 पटना/ दिनांक 12/10/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 2007 पटना/ दिनांक 12/10/2023

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा-2 (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव।

निर्वाचन हेतु व्यापार मंडल सहयोग समितियों की सूची

क्र०	जिला	प्रखंड	सहकारी समितियों का नाम
1	**2**	**3**	**4**
1	वैशाली	पटेढ़ी बेलसर	पटेढ़ी बेलसर व्यापार मंडल स0स0लि0
2	रोहतास	नोखा	नोखा व्यापार मंडल स0स0लि0
3	सिवान	नवतन	नवतन व्यापार मंडल स0स0लि0
4	शेखपुरा	शेखपुरा	शेखपुरा व्यापार मंडल स0स0लि0
5	कटिहार	प्राणपुर	प्राणपुर व्यापार मंडल स0स0लि0

प्रपत्र–1
सूचना का प्रपत्र
(नये व्यापार मंडल के लिए)

जिला ...., प्रखंड.......................के व्यापार मंडल ...., निबंधन संख्या............................., पता ....के अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक..................को किया जाना है,

मैं..निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 14 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है –

पद	
प्रथम वर्ग से	
अध्यक्ष	01 (अनारक्षित)
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य–	10
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि	02 पद, जिसमें 01 पद महिला के लिए आरक्षित
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद
• अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि	02 पद, जिसमें 01 पद महिला के लिए आरक्षित
• सामान्य कोटि	05 पद (अनारक्षित), जिसमें 03 पद (सभी कोटि के लिए) एवं 02 पद महिला के लिए आरक्षित
द्वितीय वर्ग से	
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	03
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि	01 पद
• सामान्य कोटि	02 पद (अनारक्षित), जिसमें 01 पद (सभी कोटि के लिए) एवं 01 पद महिला के लिए आरक्षित

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय...................................अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर
(स्थान का नाम)
सकने की स्थिति में..को..पर दाखिल किया जा सकता
(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)
है। नामांकन पत्र दिनांक .... 11 बजे पूर्वाह् से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.........................से दिनांक............................. तक ....बजे से............................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक......................को...............................पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं 3 बजे
(स्थान का नाम)
तक चलती रहेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....................को अपराह्न .... बजे के पूर्व तक ....पर
(स्थान का नाम)
दाखिल की जा सकती है।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक..................को 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30.......................बजे अपराह्न
(स्थान का नाम) तक होगा।

(Vii) मतगणना दिनांक.................को ....बजे से...पर की जायेगी।
(स्थान का नाम)

स्थान–

तिथि – निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–1
सूचना का प्रपत्र
(पुराने व्यापार मंडल के लिए)

जिला ...., प्रखंड........................के व्यापार मंडल ...., निबंधन संख्या.............................., पता ....के अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक..................को किया जाना है,

मैं...निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है –

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
अध्यक्ष – प्रथम एवं द्वितीय वर्ग दोनों से	01 (अनारक्षित)
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य–	
प्रथम वर्ग (सहयोग समितियाँ) से	06
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि	01 पद
• अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद
• सामान्य कोटि	03 पद (अनारक्षित), जिसमें 02 पद (सभी कोटि के लिए) एवं 01 पद महिला के लिए आरक्षित
द्वितीय वर्ग (व्यक्तिगत किसान) से	06 पद
• अनु0जाति/अनु0ज0जाति कोटि	01 पद
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद
• अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद
• सामान्य कोटि	03 पद (अनारक्षित), जिसमें 02 पद (सभी कोटि के लिए) एवं 01 पद महिला के लिए आरक्षित

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को ~~उनके~~ कार्यालय..................................अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर
(स्थान का नाम)
सकने की स्थिति में..को...पर दाखिल किया जा सकता
(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)
है। नामांकन पत्र दिनांक .... 11 बजे पूर्वाह् से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.........................से दिनांक............................. तक ....बजे से............................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....................को...............................पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं 3 बजे
(स्थान का नाम)
तक चलती रहेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....................को अपराह्न .... बजे के पूर्व तक ....पर
(स्थान का नाम)
दाखिल की जा सकती है।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक..................को 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30...........................
(स्थान का नाम)
बजे अपराह्न तक होगा।

(Vii) मतगणना दिनांक.................को ....बजे से..पर की जायेगी।
(स्थान का नाम)

स्थान–

तिथि – निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर